



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032023-244184
CG-DL-E-07032023-244184

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1028]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 7, 2023/फाल्गुन 16, 1944

No. 1028]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 7, 2023/PHALGUNA 16, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2023

का.आ. 1072(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन, शोधन निवारण अधिनियम 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (धक) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारबार के अनुक्रम में किसी अन्य प्राकृतिक या विधिक व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से किये गये निम्नलिखित क्रियाकलापों को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए क्रियाकलाप के रूप में अधिसूचित करती है-

- आभासी डिजिटल आस्तियों और फिएट मुद्राओं के बीच विनिमय;
- आभासी डिजिटल आस्तियों के एक या अधिक प्ररूपों के बीच विनिमय;
- आभासी डिजिटल आस्तियों का अंतरण;
- आभासी डिजिटल आस्तियों या आभासी डिजिटल आस्तियों पर नियंत्रण को समर्थ बनाने वाले उपकरणों का सुरक्षित रखरखाव या प्रशासन; और
- किसी जारीकर्ता के प्रस्ताव और आभासी डिजिटल आस्ति के विक्रय से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भागीदारी और उसके उपबंध।

स्पष्टीकरण— इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "आभासी डिजिटल आस्ति" का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (47क) में है।

[फा. सं. पी-12011/12/2022-ईएस सेल-डीओआर]

शशांक मिश्र, निदेशक (मुख्यालय)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2023

S.O. 1072(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (sa) of sub-section (1) of section 2 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby notifies that the following activities when carried out for or on behalf of another natural or legal person in the course of business as an activity for the purposes of said sub sub-clause, namely:-

- (i) exchange between virtual digital assets and fiat currencies;
- (ii) exchange between one or more forms of virtual digital assets;
- (iii) transfer of virtual digital assets;
- (iv) safekeeping or administration of virtual digital assets or instruments enabling control over virtual digital assets; and
- (v) participation in and provision of financial services related to an issuer's offer and sale of a virtual digital asset.

Explanation:- For the purposes of this notification "virtual digital asset" shall have the same meaning assigned to it in clause (47A) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

[F. No. P-12011/12/2022-ES Cell-DOR]

SHASHANK MISRA, Director (Headquarter)